छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

// आदेश //

क्रमांक – 23

दिनांक 26 / 9 / 2022

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा क्रियान्वित परियोजना अपरिहार्य कारणों से निर्धारित समयावधि पर पूर्ण नही होने पर योजना निर्माण हेतु निर्धारित समयावधि के 6 माह बाद के विलंबित अवधि का हितग्राहियों को मण्डल में जमा राशि एवं पंजीयन वापसी पर दी जाने वाली ब्याज के दर को संशोधित किये जाने के संबंध में।

——000——

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 71वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 17.08.2022 के एजेण्डा क्रमांक 12 पर पारित संकल्प क्रमांक 1956/12/71/08/2022 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, मण्डल के आदेश क्रमांक 35, दिनांक 23.12.2020 अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा क्रियान्वित परियोजना अपरिहार्य कारणों से निर्धारित समयावधि पर पूर्ण नही होने पर योजना निर्माण हेतु निर्धारित समयावधि के 6 माह बाद के विलंबित अवधि का हितग्राहियों को मण्डल में जमा राशि एवं पंजीयन वापसी पर दी जाने वाली ब्याज दर को राष्ट्रीयकृत बैंक एस.बी.आई. द्वारा बचत खाता के अंतर्गत भारित ब्याज दर के अनुसार लिए जाने की निम्नानुसार स्वीकृति किया गया है :–

विवरण	वर्तमान ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
मण्डल द्वारा क्रियान्वित परियोजना अपरिहार्य कारणों से निर्धारित समयावधि पर पूर्ण नही होने पर योजना निर्माण हेतु निर्धारित समयावधि के 6 माह बाद के विलंबित अवधि का हितग्राहियों को मण्डल में जमा राशि एवं पंजीयन वापसी पर दी जाने वाली ब्याज की दर	7.50	2.75

यह आदेश समस्त प्रकरणों में तत्काल प्रभावशील होगा।

(मण्डल के आदेशानुसार)

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र.1890 /आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या/एफ– /22 नवा रायपुर, दिनॉक 26/9/2022

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

क्रमशः–02

2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
5. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01, 02, 04, रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग – 01, नवा रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/ कवर्धा/ बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव/ जगदलपुर/ धमतरी/ महासमुन्द/ कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
12. वास्तुविद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
13. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01, 02, 04 रायपुर/प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना – रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/ कवर्धा/ बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव/ जगदलपुर/ धमतरी/ महासमुन्द/ कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
15. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)